

फर्द अहकाम
जोड़ी देवनाम मिरोडी वगैः

अपण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
न संख्या 21 / 202 5

प्र. ५२

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/3/26	<p>पत्रावली पैठा जाकि कि ओर से कोई उप. नही। न्यायालय समक्ष के दौरान बार-2. अवाज लगवने के बाद भी जाकि. की ओर से कोई उप. नही होने के कारण पार्श्वका पर अहम दायरी संबंध अहम पैरवी में खासि किया जाता है। पत्रावली जिसल सुमाए होकर खे नम्बर से कम हो बार दाखिल दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">२</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	